कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, Email ld-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / 421 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 17 / 05 / 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना (COVID-19) के सपर्क से पीडित सदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल मे लाया जावे। अत (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कडे सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत तत्संबंध में आदेश प्रसारित किये गए हैं।

02 / महामारी रोग अधिनियम, 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व मे जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 206 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक / 208 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक / 231 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020, आदेश क्रमांक / 238 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक / 259 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020, आदेश क्रमांक / 272 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक / 295 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 21.04.2020, आदेश क्रमांक / 313 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.04.2020, आदेश क्रमांक / 346 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020, आदेश क्रमांक / 353 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 04.05.2020, आदेश क्रमांक / 355 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 05.05.2020, आदेश क्रमांक / 361 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 07.05.2020 एवं आदेश क्रमांक / 364 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 08.05.2020 के तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु **दिनांक 17.05.2020 रात्रि 12.00 बजे तक** पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) तथा कुछ कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं में शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है।

03 / अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः **संक्रमण से बचाव हेतु जिला महासमुन्द में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए** यह उचित प्रतीत होता है कि महासमुन्द जिले मे कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 206 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक / 231 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020, आदेश क्रमांक / 272 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020 एवं आदेश क्रमांक / 346 / क / एस. डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020 द्वारा लागू पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की **समय–सीमा में वृद्धि** की जावे।

अतः मैं **सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द,** कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सम्पूर्ण जिले मे लागू पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की **समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 31 मई 2020** तक **लागू किये जाने का आदेश** पारित करता हूं।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला ... (छ.ग.)

क्रमशः 02–

Scanned with CamScanner

04/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 के संदर्भ में **महासमुन्द जिले के ग्रीन जोन** में होने के कारण पूर्व में जारी आदेशों के तहत **कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं पर लगाये गये प्रतिबंध** को समाप्त करते हुए **निम्नानुसार आदेश पारित करता हूं** :-

01. सार्वजनिक यातायात के **सभी संसाधन (बस, जीप, ऑटो, सायकल रिक्शा, बस स्टैण्ड आदि) से यातायात प्रतिबंधित** रहेगी।

02. निजी वाहन से जिले के बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने हेतु **बिना अनुमति प्रवास वर्जित** है। केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही **आवागमन की अनुमति** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

03. अगर किसी व्यक्ति को **अपरिहार्य स्थिति में** जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले मे प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी।

04. सभी **स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद** रहेंगे।

05. सभी **सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सेल), मॉल, जिम (व्यायाम शाला), खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार** एवं इस प्रकार के स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे।

06. सभी प्रकार के **सामाजिक/राजनैतिक/खेल-कूद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित** रहेगी।

07. सभी **धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल/सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जनसाधारण के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।** धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

08. **अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार** संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची देनी होगी।

09. **वैवाहिक कार्यक्रम** करने हेतु अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।

10. **विदेश/अन्य राज्य/अन्य जिले से आने वाले** सभी नागरिकों को Home Quarantine के नियमों का पालन करना होगा।

11. **गुटका, तम्बाखू, गुड़ाखू का विक्रय प्रतिबंधित** रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर **थूकना प्रतिबंधित** रहेगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर जुर्माना किया जाएगा।

12. **सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग एवं सोसल डिस्टेंसिंग** का पालन अनिवार्य होगा।

13. **आवासीय होटल/लॉज प्रतिबंधित** होंगे।

14. होटलिंग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण एवं नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित ढाबे/होटल खुलेंगे किन्तु ढाबा/होटल संचालक ढाबे/होटल में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे, **केवल पैक्ड फूड** ही उपलब्ध करायेंगे।

15. सभी कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम अपने समय पर खुलेंगे। सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, हाट-बाजार आदि **प्रातः 09.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक** एवं **मेडिकल स्टोर्स प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक** खुली रहेंगी।

16. महासमुन्द जिला अंतर्गत **शायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं आवागमन प्रतिबंधित** रहेगा।

05/ सभी कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमशः 03-

Scanned with CamScanner

06/ कार्यालयीन आदेश क्रमांक/364/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 08.05.2020 द्वारा महासमुन्द जिले की सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई 2020 के पश्चात् आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 06.00 बजे तक की समयावधि के लिए पूर्णतः लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा। उक्त आदेश के पैरा 04.2 में उल्लेखित प्रतिष्ठान/सेवायें इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगी। उक्त दिनों में दवा दुकानें, दूध, ब्रेड, अण्डा, फल एवं सब्जी की दुकानें पूर्व निर्धारित समयानुसार खुलेंगी।

07/ **उपरोक्त आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।**

08/ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश,

–क्रमांक 206/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020
–क्रमांक 231/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020
–क्रमांक 272/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020
–क्रमांक 346/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020
–क्रमांक 364/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 08.05.2020

के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

17.05

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/421/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक 17/05/2020

प्रतिलिपि :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17.05

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with CamScanner